

मदालत.....

सहायक क्लर्क (SP)
बायत

मुकाम.....

गौरी

बनाम.....

कुधराम वर्मा

किस्म मुकदमा.....

राज डायरी

नं.....

120/2510

सन्.....

2020

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17/06/2020	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>जगदीश गौड़ा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>21/07/2020</u> को पेश हो।</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>सहायक क्लर्क (SP) बायत</p>	
21/07/2020	<p>प्रार्थी वकील उपरिपत्र/विप्रार्थी/जिने के नोटिस तामील हुआ प्राप्त जिसे तामील पत्रावली दिनांक <u>04/08/2020</u> अधिकारी डिग्न डायरी में पालन होने के मिला इल्लवा होकर आगामी दिनांक <u>04/08/2020</u> को पेश हो।</p>	
04/08/2020	<p>अधिकृत/जज रेफरेंस में होने के आज उपरिपत्र नहीं हुए। तामील पत्रावली अधिकारी डिग्न डायरी में पालन होने के मिला इल्लवा होकर आगामी दिनांक <u>15/09/2020</u> को पेश हो।</p>	



15/09/2020

पार्सी वडोला उपस्थित। विप्राधीगण बावजुस
 तामिल अनुसूचित। न्यायालय समग्र तीन वार
 जावाज लगाई गई कलियु जावाज 5.45 pm पर
 लगाई गई विप्राधीगण स्वयं या उनकी कोर में
 क्षेत्र अधिकारता उपस्थित नहीं होने के विप्राधीगणों
 के विरुद्ध एडवोकेट डायरेक्टरी कमल में लाई जाती
 है। पार्सी के अधिकारता की एडवोकेट बहान खुनी गई,
 पार्सी के अधिकारता डायर बताया की पार्सी व विप्राधी-
 गणों के प्यारेली ज्येत पास पास जाये हुए है। पार्सी
 व विप्राधीगणों के ज्येतों के मध्य जो पुरानी मादे व
 डगे काये हुए थे जो वर्तमान में काथियो की बजट
 से विचार गये है। जिससे पार्सी को अपने ज्येत के
 लेनी का सही ज्ञान नहीं है या नही है। पार्सी व विप्राधी-
 गणों के मध्य ज्येत के लेनी को लेडर हमेशा बनाजा
 बना रहता है। पार्सी को अपने ज्येत के लेनी का सही
 ज्ञान करने हेतु नेपथमबन्दी डायरी कावरथु है। इसलिए
 पार्सी का नेपथमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाउ। नेपथम-
 बन्दी कावेरा विद्या जावे।

कतः पार्सी अधिकारता के आवेदन पर पार्सी
 का नेपथमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाउ। तदनुसार
 बावजुस को डायरेक्टर व सावधित भूष प्रसिलेख निरिभुड
 को सहायतु डायरेक्टर मिशुक्त विद्या जाउ। कावेरा विद्या
 जाता है कि काय स्वयं या सहायतु डायरेक्टर के पार्सी
 के प्यारेली ज्येतों की प्रथी नेपथमबन्दी मांडे पर
 डायरेक्टर कुलु जमाउतउत डरे। पालना रिपोर्ट जल डरे
 पर शामिल पत्रावली की पत्रावली मंसल सुमा डरे।
 इस नम्वर के उम ही दायिल दस्त है।

(Handwritten signature)

राजस्थान - सरकार

आयालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक/आवेदन/2020/633

दिनांक:- 15/09/2020

राजस्व आवेदन संख्या-116/2020

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण


गोमी देवी पत्नि गंगाराम
जाति सुनार
निवासी- सगरमोणी सारणो की ढाणी
छीतर का पार तहसील बायतु

बुधराराम पुत्र भैराराम
जाति जाट निवासी सगरमोणी सारणो की ढाणी
छीतर का पार तहसील बायतु

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128, राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा-सगरमोणी सारणो की ढाणी पटवार मण्डल छीतर का पार.तहसील बायतु जिला बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 647/561 रकबा 7.2810 हैक्टैयर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



(विवेक व्यास)

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी बायतु (SDO) बायतु

दिनांक:- 15/09/2020

क्रमांक/आवेदन/2020/ 634 to 638

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, छीतर का पार को भेजकर लेख है। कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थीगण श्री गोमी देवी वगैरा।
4. विप्रार्थीगण श्री बुधराराम वगैरा।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना बायतु, गिडा, नागाणा।



उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु